(117)

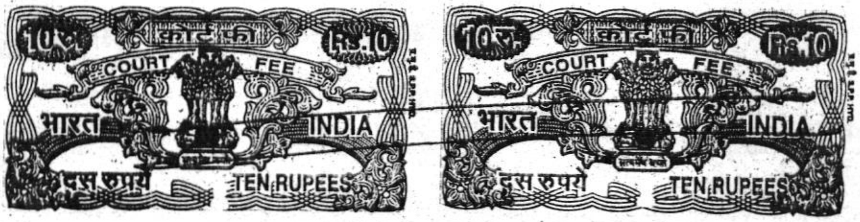

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प - भोपाल

R-2459-PBR/14 प्रकरण क्रमांक ....

1- मुन्नीबाई आयु- लगभग 60वर्ष बेवा महेश गुप्ता

2- संदीप गुप्ताआयु-लगभग 32 वर्ष आत्मज महेश गुप्ता

3- संजय गुप्ता आयु लगभग 24 वर्ष आत्मज महेश गुप्ता

4- मनीष गुप्ता आयु लगभग 26 वर्ष आत्मज महेश गुप्ता

5- संध्या गुप्ता उर्फ गुड्डी आयु लगभग 22 वर्ष पुत्री महेश गुप्ता

सभी निवासी- मोहल्ला बालागंज होशंगाबाद

तहसील व जिला- होशंगाबाद ।

[redacted] । --- आवेदकगण

श्री ओ.पी. दुबे अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24-7-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 24-7-14

-- विरुद्ध ----

कचरू कुर्मी आत्मज स्व0 श्री मुल्लू कुर्मी निवासी-

वार्ड नंबर 30 ग्वाल टोली मोहल्ला होशंगाबाद

तहसील व जिला- होशंगाबाद । --- अनावेदक

26-7-14

निगरानी अंतर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता- 1959

महोदय,

अनावेदकगण द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 3 बी-121/013-14 में पारित आदेश दिनांक 4/6/2014 से - दुखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है ।

-- 2 --

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2459–पीबीआर / 14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.10.2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा कलेक्टर ने अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । कलेक्टर द्वारा दिनांक 6–8–14 को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 3192–पीबीआर / 12 दिनांक 12–10–17 को अंतिम आदेश पारित हो गया है । अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	